पत्रांक 2322 /धारा–57 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / 2009–10 / देहरादून

कार्यालयआयुक्त कर,उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
दिनॉक: देहरादून: 25 अगस्त 2009,

प्रार्थना पत्र सं0 :– 2572 दिनांक 6–7–09
सर्वश्री सहोता, पेपर्स लि0,
ग्राम नरायनपुर, मुरादाबाद रोड काशीपरु।
निर्णय का दिनांक :– अगस्त–2009
प्रार्थी की ओर से – श्री विकास वर्मा अधिवक्ता, व श्री उमाकान्त सिहंल,मैनेजर एकाउन्ट।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री सहोता पेपर्स लि0, मुरादाबाद रोड, काशीपुर द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत दिनांक 6–7–09 को एक प्रार्थना पत्र देते हुये डुप्लैक्स कोटेड बोर्ड, मिल बोर्ड तथा ग्रे बोर्ड पर कर देयता के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है ।

2– विभागीय मत ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर काशीपुर सम्भांग, काशीपुर द्वारा उपलब्ध कराते हुये अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा प्रश्नगत वस्तओं पर प्रान्त भीतर बिकी करते हुये 12.5 प्रतिशत की दर से कर जमा किया जा रहा है।

3– सुनवाई की तिथि को श्री विकास वर्मा अधिवक्ता एवं श्री उमाकान्त फर्म मैनेजर (एकाउन्टस) उपस्थित हुये। उनके द्वारा लिखित उत्तर दाखिल करते हुये अवगत कराया कि मा0 वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सर्वश्री खन्ना पेपर मिल, वाराणसी बनाम कमिश्नर उ0 प्र0 के वाद में इन वस्तुओं को पैंकिगं मैट्रीरियल मानते हुये 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य धोषित किया गया है । उनके द्वारा इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सर्वश्री राम पेपर मिल्स लि0 बनाम सी0एस0टी0 तथा भारत स्ट्राबोर्ड एण्डं पेपर मिल्स प्रा0लि0,बनाम सी0एस0टी0यू0पी0 के मामलों में प्रश्नगत वस्तुओं को पैकिगं मैट्रीरियल माना गया है से अवगत कराया गया। अतः उनके द्वारा सन्दर्भित वस्तु को 4 प्रतिशत की दर से करयोगय मानने का अनुरोध किया गया।

4– मेरे द्वारा दाखिल उत्तर तथा विभागीय मत का अवलोकन किया गया। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची 2 (बी) के कमांक 9 पर "पैकिगं का सामान जिसमें (क) कागज, पेपर बोर्ड, कोरोगेटिड शीट्स, प्लास्टिक से बने बक्से, डिब्बे,कार्टन, जैरी कैन, थैले (ख) पुर्न–चकित कागज से बने मोल्डिड ट्रे (ग) जूट एवं सन से बनाये गये टाट व बोरे (घ) लेमिनेटिड जूट के बोरे भी सम्मिलित है" को रखते हुये इसे 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य घोषित किया गया है । इसी अनुसूची के कमांक 79 पर "पेपर जिसमें न्यूज प्रिन्ट तथा पेपर बोर्ड तथा फोटो ग्राफिक पेपर" सम्मिलित है को रखते हुये इसे भी 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य घोषित किया गया है। इन प्रविष्टियों में स्पष्ट रुप से डुप्लैक्स कोटेड बोर्ड, ग्रे बोर्ड, मिल बोर्ड को सम्मिलित नही किया गया है। उक्त प्रविष्टि में कमांक 9 पर "Articles of packing including" अंकित किया गया है। डुप्लैक्स कोटेड बोर्ड, ग्रे बोर्ड, मिल बोर्ड का प्रयोग विशुद्व रुप से पैकिगं मैट्रीरियल के रुप में होता है, ऐसी अवधारणा कदाचित उचित नही है। Textile उधोग में (कपडे का थान लपेटना) रेडीमेड शर्ट्स में (कालर को सीधा रखने), पुस्तकों की जिल्दबन्दी आदि में भी आवेदनकर्ता द्वारा निर्मित माल की उपयोगिता है। यदि विधायिका की मंशा आवेदनकर्ता द्वारा निर्मित माल को packing Material

----2

के रुप में अनुसूची 2(बी) के क्रमांक 9 अथवा 79 में यथावर्णित प्रविष्ठि के साथ रखे जाने की होती तो इस आशय का स्पष्ट उल्लेख क्रमांक 9 पर अंकित प्रविष्ठि "Articles of packing including" में भी स्पष्ट रुप से किया जा सकता था। अतः आवेदनकर्ता द्वारा निर्मित माल मूल्यवर्धितर कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (6) (i) के साथ पठित सूची में स्पष्ट रुप से उल्लिखित नहीं होने के कारण उन्हें अवर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी के अन्तर्गत ही माना जाना उपयुक्त होगा।

5– आवेदन कर्ता के पूछे गये प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है। आदेश की प्रति आवेदनकर्ता एवं सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को भेजी जाये।

भवदीय,

(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय,देहरादून।

पृ0प0सं0 2322 व दिनॉक::उक्त::

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून ।
2– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रुद्रपुर।
3– एडिशनल कमिश्नर, (आडिट)/प्रवर्तन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून ।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों /बार एसोसिऐशनके पदाधिकारियों/उधोग/व्यापार मण्डंल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी ।
6– ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।
7– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
8– पोर्टल प्रबन्धक,उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रुडकी।
9– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
10– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉडन प्लाला बिल्डिगं अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद ।
11– नेशनल लॉ एण्डं मैनेजमेंन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद ।
12– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
13– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
14– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु ।

05 09 08

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
मुख्यालय,देहरादून।